

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल (म.प्र.)
(कालोनी प्रकोष्ठ)
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

दिनांक 10/8/2021

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 687

मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 / मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 और उसके अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम, 1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन :-

श्री / श्रीमती / अध्यक्ष / **M/s CHETANYA BUILDERS & COLONISERS**
निवासी- **E-7/821, ARERA COLONY, BHOPAL**

ग्राम / वार्ड

नगर

भोपाल

तहसील

हुजूर

जिला

भोपाल

का एतद् द्वारा कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है, कि

- (1) यह पंजीयन नगर पालिक निगम, भोपाल के क्षेत्र तक के लिए है।
- (2) प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की सूचना कालोनाईजर को कालोनी स्थापना के पूर्व देना होगा।
- (3) प्रत्येक कालोनी के लिए विकास अनुमति / विकास कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी।
- (4) रजिस्ट्रीकरण की अवधि जारी दिनांक से पांच वर्ष तक अर्थात् दिनांक 9/8/2026 तक मान्य रहेगी।

स्थान Bhopal

दिनांक 10/8/2021

टीप:- कालोनी की स्थापना, विकास कार्य कालोनी में भू-खण्डों / भवनो का आवंटन या आवंटन करने के करार की पात्रता तब होगी जब कालोनी के विकास की अनुमति नियमानुसार प्राप्त कर ली जाती है।



(Signature)
सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल